भा.कृ.अनु.प.– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान प्रक्षेत्र,
सेलाकुई, देहरादून–248011

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation, Research Farm, Selakui, Dehradun-248011

फाईल क्रमाक: /13(1)/SCF/Store/Uns./2021-22 दिनांक: 07.10.2021

नीलामी नोटिस

इच्छुक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में दिनांक: 01.11.2021 को पूर्वाहन 11:00 बजे प्रक्षेत्र के Lysimeter field में स्थित लोहे के तीन पुराने ढांचों (MS Steel Plates) जिनका वजन लगभग 15 टन है, की खुली नीलामी प्रति कुतंल की दर से, जैसे है जहॉ है के आधार पर की जायेगी। बोली से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी वेबासाईट : www.cswcrtiweb.org. से प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की नियम व शर्ते

1. लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) की खुली नीलामी प्रकिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक: 01.11.2021 को प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

2. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले लोहे के ढांचों की खुली नीलामी के लिए एक मुश्त् ई0एम0डी की धनराशि रू0 15,**000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** का **डिमाण्ड ड्राफ्ट** जो की निदेशक (भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून) के पक्ष में हो अथवा नकद जमा कराना होगा। ई0एम0डी की धनराशि जमा नही कराने की अवस्था में नीलामी स्थल में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

3. नीलामी हेतु पंजीकरण कराते समय बोलीदाता अपने **आधार कार्ड** एवं **बैंक की पासबुक की प्रति** अवश्य प्रस्तुत करेंगें।

4. एक ई0एम0डी की धनराशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद** के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

5. लोहे के ढांचों (MS Steel Plates)की खुली नीलामी, जहॉ है जैसे है के आधार पर की जायेगी। लोहे के ढांचें जमीन में स्थापित है, सफल बोलीदाता को लोहे के ढांचों की खुदाई, निराकरण, और कटाई आदि स्वंय करनी होगी।

6. एक बार बोली छूटने के पश्चात लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) की गुणवत्ता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नही किया जायेगा।

7. यदि बोलीदाता द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने के तथ्य सामने आते हैं तो ठेका समय अवधि के दौरान संस्थान के सक्षम अधिकारी/निदेशक महोदय द्वारा आंवटित ठेके को निरस्त करने व ठेके से संबधित जमा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा संबधित ठेकेदार कानूनी कार्यवाही के लिए भी स्वंय जिम्मेदार होगा।

8. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।

9. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष मे अनुमोदित की जायेगी।

10. बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति अपनी रिर्पोट उन्हे प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किया जायेगा। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

11. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली का जो कि प्रति कुतंल की दर से होगी, में लगभग 15 टन भार के बराबर राशि का 25 प्रतिशत भुगतान बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन **प्रति कुतंल पर 18 प्रतिशत GST अतिरिक्त देय** की दर से **डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS** द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा तथा सफल बोलीदाता की ई.एम.डी. की राशि को धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा तथा नगद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी। सफल बोलीदाता को **धरोहर राशि** को नीलामी आदेश में दी गयी कार्य समाप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात् से 60 दिन के पश्चात वापस ले सकते है। कार्य समाप्त होने के पश्चात् कार्य समाप्ति रिपोर्ट देनी होगी।

12. सफल बोलीदाता को माल को प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने के समय 25 प्रतिशत भुगतान पूर्ण होने के पश्चात् प्रति कुतंल की दर से तौलकर शेष भुगतान उसी दिन तुरन्त करना होगा तथा **धनराशि प्रति कुतंल पर 18 प्रतिशत GST अतिरिक्त देय** होगी।

13. धरोहर राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के बाद आंवटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जोयगी। ठेकेदार द्वारा प्रक्षेत्र, सेलाकुई पर किसी प्रकार के नुकसान पहुॅचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

14. सफल बोलीदाता को नीलामी ठेके का अनुबंध पत्र रू0 100/— के नॉन—जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड प्रस्तुत करना होगा। इस अनुबंध पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

15. लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) की खुदाई, निराकरण, कटाई और ढुलाई का कार्य स्वंय करना होगा एवं सभी कार्यकलापों की जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। संस्थान इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

16. सफल बोलीदाता आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुई सम्पूर्ण

राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।

17. लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) की खुदाई, निराकरण और कटाई इत्यादि सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे के बीच संस्थान के अधिकारियों/कर्मचरियों की देख–रेख में कार्यालय समय में किये जायेंगें जिसके लिए सफल बोली दाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

18. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

19. सफल बोलीदाता द्वारा लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य, कार्य–दिवस में प्रातः 9:00 बजे से 4:00 बजे के बीच ही कराना होगा तथा कार्यालय अवकाश दिवस में कार्य करने की अनुमति नही होगी ।

20. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा लोहे के ढांचों (MS Steel Plates)की खुदाई, निराकरण, कटाई और ढुलाई के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई मे होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जायेगी।

21. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में लोहे के ढांचों (MS Steel Plates) का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच प्रक्षेत्र अधीक्षक की अनुमति/निगरानी में कर सकते है।

22. यदि नीलामी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस में उसी समय आयोजित की जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।

23. कोविड–19 के कारण बोलीदाता को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा एवं चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

24. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।

25. इस नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।

26. निदेशक, भा0कृ0अ0प0–भारतीय मृदा एंव जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई